न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 316 / 2020

निर्णय दिनांकः— 08.01.2021

उनवान

चतुर्भुज पुत्र कजोड जाति माली निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

— प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी

2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 77 ख0न0 594 रकबा 0.43, ख0न0 619 रकबा 0.15, ख0न0 620 रकबा 0.10 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम अलीगढ व खाता संख्या 76 ख0न0 618 रकबा 0.05 है0 गे0मु0 चाह वाके ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का सही नाम चतुर्भुज पुत्र कजोड है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड , ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि मे अंकित है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम चतुर्भुज पुत्र कजोड के स्थान पर सहवन से चतरू पुत्र कजोड दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य मे विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 77 ख0न0 594 रकबा 0.43, ख0न0 619 रकबा 0.15, ख0न0 620 रकबा 0.10 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम अलीगढ व खाता संख्या 76 ख0न0 618 रकबा 0.05 है0 गे0मु0 चाह वाके ग्राम अलीगढ तहसील उनियारा मे प्रार्थी का नाम चतरू पुत्र कजोड के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र कजोड अंकित करवाते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

उनियारा

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम अलीगढ की जमाबन्दी खाता संख्या 77 सम्वत 2073–2076 मे चतरू पुत्र कजोड हि0 1/4 जाति माली दर्ज है। इससे पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2053 से 2056 मे भी प्रार्थी का नाम चतरू पुत्र कजोड ही दर्ज है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के पश्चात विरासत के नामा0 89 दिनांक 1.6.90 को नामा0 चतरू पुत्र कजोड के नाम ही स्वीकार हुआ है। प्रार्थी के वर्तमान दस्तावेज राशनकार्ड, पहचान पत्र एवं आधार कार्ड मे चतुर्भुज पुत्र कजोड लिखा हुआ है। उक्त प्रार्थी चतरू उर्फ चतुर्भुज करवाना चाहता है, जो सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम अलीगढ नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 77 आराजी ख0न0 594, 619, 620 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 मे चतरू पुत्र कजोड हि0 1/4 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 76 आराजी ख0न0 618 रकबा 0.05 गे0मु0 चाह मे चतरू पुत्र कजोड हि0 1/52 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के वर्तमान दस्तावेज राशनकार्ड, पहचान पत्र एवं आधार कार्ड मे चतुर्भुज पुत्र कजोड लिखा हुआ है। तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब मे भी चतरू पुत्र कजोड जाति माली निवासी अलीगढ के स्थान पर चतुर्भुज पुत्र कजोड जाति माली किये जाने की अभिशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 77 ख0न0 594, 619, 620 कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम अलीगढ व खाता संख्या 76 आराजी ख0न0 618 रकबा 0.05 गे0मु0 चाह वाके ग्राम अलीगढ मे दर्ज चतरू पुत्र कजोड के स्थान पर चतुर्भुज उर्फ चतरू पुत्र कजोड दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वित्तिय संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को सूचित करने के लिये प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा